माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

website-msuniversity.ac.in E-mail id- registrar @msuniversity.ac.in

पत्रांक : 926 /प्रशा0/MSU/2026-27 दिनांक : 13/11/2026

कार्यालय–ज्ञाप

जिलाधिकारी/प्रमुख जनगणना अधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्याः–268/जनगणना–सहायक /2026-27 दिनांकः 23 अक्टूबर, 2026 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर द्वारा स्व–गणना (Self- Enumeration)–se.cebsys.gov.in के क्रियान्वयन हेतु मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांकः 12.11.2026 द्वारा श्री संजीव कुमार (सहा0कुलसचिव), मों0न0 9412209055, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय जनपद सहारनपुर एवं श्री प्रो0 सुरेन्द्र सिंह, अतिथि प्रवक्ता, मों0न0 895969030 माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को विश्वविद्यालय परिसर/छात्रावास के लिए स्व–गणना (Self- Enumeration) नोड़ल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं।

उक्त के आलोक में नोडल अधिकारी एवं सह नोडल अधिकारी संअप्रेक्षा है कि वे स्व–गणना हेतु जिलाधिकारी सहारनपुर के पत्र दिनांक 23.10.2026 में उल्लेखित दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि

13-11-26
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. शीतल वर्मा, आई.ए.एस. भारत सरकार, गृह मंत्रालय।
02. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
03. जिलाधिकारी/प्रमुख जनंगणना अधिकारी, सहारनपुर।
04. उप–जिलाधिकारी/चार्ज अधिकारी तहसील सदर सहारनपुर।
05. परीक्षा नियंत्रक।
06. वित्त अधिकारी।
07. उपकुलसचिव।
08. संजीव कुमार सहा0कुलसचिव प्रशासन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों से उपर्युकतानुसार आवश्यक कार्यवाही ससमय सुनिश्चित कराये।
09. शैक्षणिक समन्वयक।
10. प्रो0 सुरेन्द्र सिंह, अतिथि प्रवक्ता को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे विश्वविद्यालय परिसर के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही ससमय सुनिश्चित कराये।
11. वार्डन पुरूष एवं महिला छात्रावास।
12. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

5/13/26, 4:04 PM

3991/Reg.
29/10/26

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर

(जनगणना अनुभाग)

पत्रांक:- 268 /जनगणना-सहायक/2026-27 दिनांक:- 23 अक्टूबर 2026

सूचना एवं आवश्यक निर्देश

(जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियम, 1990 के अंतर्गत)

कुलसचिव,
मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

विषय: जनगणना-2027 हेतु संस्थागत/छात्रावास परिसरों में निवास करने वाले छात्रों, कर्मचारियों एवं अन्य निवासियों की पूर्ण गणना सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण अर्थात् जनसंख्या गणना निम्न अवधि में सम्पन्न की जानी है—

कार्य	अवधि
स्व-गणना (Self-Enumeration) — se.census.gov.in	**16 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2026**
प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर जनसंख्या गणना	**01 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027**

जनगणना देश के महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों का आधिकारिक आधार है। जनगणना-2027 की सफलता का मूल आधार यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित अवधि में उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी गणना से छूटने न पाए और प्रत्येक व्यक्ति जनगणना में समग्र रूप से सम्मिलित हो।

परिसर/छात्रावास में रहने वाले तथा संस्थान की साझा रसोई/मैस से भोजन प्राप्त करने वाले छात्र, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी तथा अन्य निवासी संस्थागत परिवार (Institutional Household) के अंतर्गत आएंगे और उनकी गणना जनसंख्या गणना अवधि में प्रगणक द्वारा की जाएगी।

वहीं, परिसर में पृथक सामान्य परिवार के रूप में रहने वाले केयरटेकर, माली, वाहन चालक एवं अन्य सहायक कर्मचारी, जो संस्थान की साझा रसोई/मैस से भोजन नहीं लेते हैं, अपने परिवार की स्व-गणना कर सकते हैं।

अतः विश्वविद्यालय / संस्थान/छात्रावास प्रमुख निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें—

1- **नोडल अधिकारी का नामांकन:** प्रत्येक संस्थान/छात्रावास में एक नोडल अधिकारी नामित करें तथा सूचना की प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर उसका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर एवं पता संबंधित चार्ज अधिकारी को उपलब्ध कराएं। नोडल अधिकारी संस्थान, चार्ज अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं प्रगणक के बीच समन्वय का कार्य करेगा।

2- **पूर्ण कवरेज एवं सूचीकरण:** परिसर/छात्रावास में निवास करने वाले सभी **संस्थागत एवं सामान्य परिवारों** की पहचान एवं सूची तैयार रखें। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करें कि कोई छात्र, कर्मचारी अथवा अन्य निवासी गणना से छूटने न पाए।

3- **स्व-गणना एवं जनगणना कार्य में संस्थागत समुदाय की सहभागिता:** संस्थान द्वारा सभी गैर-आवासीय छात्रों, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों तथा संस्थान से संबद्ध संगठनों/व्यक्तियों को 16–30 नवम्बर, 2026 के दौरान स्व-गणना के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, 01 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 तक चलने वाली घर-घर जनसंख्या गणना के दौरान सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रगणकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने एवं उनके कार्य में पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए।

4- **संस्थागत परिवारों की गणना में सहयोग:** छात्रावासों एवं अन्य संस्थागत परिसरों में रहने वाले व्यक्तियों की गणना हेतु प्रगणक/पर्यवेक्षक को आवश्यक अभिलेख, विवरण एवं सुविधा उपलब्ध कराएं, ताकि वे **PE Mobile App** में समयबद्ध एवं सही प्रविष्टि कर सकें

5- **प्रगणकों/पर्यवेक्षकों को निर्बाध प्रवेश:** सुरक्षाकर्मियों एवं गेटकीपरों को निर्देशित करें कि वैध पहचान-पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रगणकों/पर्यवेक्षकों को **पूर्व अपॉइंटमेंट, प्रवेश शुल्क अथवा अनावश्यक गेट-पास की शर्त के बिना** शासकीय कार्य हेतु परिसर में प्रवेश दिया जाये।

6- **प्रचार-प्रसार एवं अनुश्रवण:** इस सूचना को संस्थान/छात्रावास के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें तथा वेबसाइट, ई-मेल, WhatsApp समूह एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से छात्रों एवं कर्मचारियों तक पहुँचाएं। संस्था प्रमुख संपूर्ण अवधि में कार्य की प्रगति का अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

जनगणना कार्य में असहयोग, बाधा उत्पन्न करना अथवा आवश्यक जानकारी देने से इनकार करना गंभीरता से लिया जाएगा तथा जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

सभी संस्थान/छात्रावास प्रमुख इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित अवधि में पूर्ण एवं त्रुटिरहित कवरेज सुनिश्चित करें।

जनगणना-2027 से संबंधित किसी भी सहयोग अथवा जानकारी के लिए जनगणना हेल्पलाइन 1855 अथवा संबंधित चार्ज अधिकारी / उप-जिलाधिकारी (SDM) कार्यालय, जिला जनगणना नियंत्रण कक्ष 29 अथवा टोल-फ्री 1855 से संपर्क किया जा सकता है।

(अरविंद कुमार चौहान)
जिलाधिकारी/प्रमुख जनगणना अधिकारी,
सहारनपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. जनपद के उप-जिलाधिकारी/ चार्ज अधिकारी तहसील सदर अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय/छात्रावासों में उक्त सूचना का व्यापक प्रसार एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

23/10/25

जिलाधिकारी/प्रमुख जनगणना अधिकारी,
सहारनपुर

2027 CENSUS OF INDIA

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

16 नवंबर - 30 नवंबर. 2026

स्व-गणना कैसे करें?

ऑनलाइन पोर्टल पर जनगणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया

1. आधिकारिक पोर्टल: se.census.gov.in पर जाएं।
2. राज्य: उत्तर प्रदेश चुनें।
3. भाषा: अपनी पसंद की भाषा चुनें और पुष्टि करें।
4. निर्देश: महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ें और आगे बढ़ें।
5. मोबाइल नंबर: जनगणना के प्रथम चरण 'मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना' के दौरान जनगणना कर्मी को दिया गया मोबाइल नंबर प्राथमिकता से दर्ज करें।

Important Note!

6. कैप्चा दर्ज करके आगे बढ़ें।
7. प्राप्त OTP दर्ज कर सत्यापित करें और आगे बढ़ें।
8. लोकेशन मैच होने पर आगे बढ़ें और सीधे चरण 11 पर जाएँ।

लोकेशन मैच न होने पर दूसरे नंबर से प्रयास करें या इसी नंबर से जारी रखकर नीचे दिए गए 2 अतिरिक्त चरण पूरे करें।

लोकेशन मैच न होने पर लागू — घबराएँ नहीं—ये 2 अतिरिक्त चरण पूरे करें।

9. निवास स्थान: अपना जिला, उपजिला तथा गाँव या शहर चुनें।
10. घर की लोकेशन: मानचित्र पर अपने घर का स्थान खोजें। प्वाइंटर को सटीक स्थान पर सेट कर पुष्टि करें।

Important Note!

11. मुखिया से संबंधित जानकारी भरकर सेव करें।
12. परिवार के शेष सदस्यों को एक-एक करके जोड़ें, उनकी 6 जानकारी भरें और सेव करें।
13. सभी की उक्त जानकारी दर्ज करने के बाद शेष जानकारी भरें।
14. जाँचकर सबमिट करें, SEID प्राप्त होगी।
15. SEID सुरक्षित रखें, जनगणना कर्मी को दिखाकर गणना पूर्ण करें।



चलो निभाएँ अपनी जिम्मेदारी,
करें जनगणना में भागीदारी।